

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 28.03.2016 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की गयी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28.03.2016 को समस्त जोन के जोनल एडीशनल कमिश्नर, एडी०कमि० ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०/कार्पो०सर्किल/वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर व प्रत्येक वाणिज्य कर मण्डल के अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी संबंधित जिलों के एन०आई०सी० सेन्टर के माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग की गयी। बैठक में दिये गये निर्देश निम्नवत हैं:-

1. वर्ष 2015-16 की ईट भट्टा समाधान योजना में अधिकाधिक भट्टों को समाधान के अर्न्तगत लाने का प्रयास किया जाए तथा जो भट्टे योजना से बाहर हैं और उनमें फुकाई प्रारम्भ हो गई है, उनका निरन्तर सर्वे कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी भी करा कर अभिलेखों में संरक्षित कर ली जाए जिससे कर निर्धारण के समय साक्ष्य के रूप में विद्यमान रहे। खण्डवार ईट भट्टे की समीक्षा करके अवशेष समाधान राशि को अधिकाधिक 31 मार्च, 2016 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

(कार्य० समस्त संबंधित एडी०कमि०ग्रेड-1, ज्वा०कमि०(कार्य०/कार्पो०सर्किल) अनु० ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०) मु०)

2. प्रदेश में बिल्डर्स के लिए समाधान योजना लागू कर दी गयी है, अधिकाधिक बिल्डर्स को इस समाधान योजना के अर्न्तगत लाने का प्रयास किया जाए और उनसे नियमानुसार समाधान राशि जमा कराई जाए।
3. जोन वाराणसी प्रथम/द्वितीय, फैजाबाद, इटावा, गाजियाबाद प्रथम तथा कानपुर प्रथम में अभी भी वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण वादों की अवशेष संख्या हजारों में है, प्रत्येक दशा में दि० 31 मार्च, 16 तक निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

(कार्य० समस्त संबंधित एडी०कमि०ग्रेड-1, ज्वा०कमि०(कार्य०/कार्पो०सर्किल) अनु० ज्वा०कमि०(विधि) मु०)

4. ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य०) अपने अधीनस्थ असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी की प्रतिदिन समीक्षा करें कि उनके कितने डीलर्स ने मासिक/त्रैमासिक रिटर्न जमा किये हैं और कितने डीलर्स ने 20 मार्च, 2016 तक का कर जमा करा दिया है। निर्देशित किया गया है कि 20 मार्च, 16 तक का देय कर सभी व्यापारियों से प्रत्येक दशा में जमा करा लिया जाये।
5. जोन वाराणसी प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद, इटावा, फैजाबाद तथा गोरखपुर में रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों का प्रतिशत अधिक है, हर संभव प्रयास करके शत-प्रतिशत रिटर्न का दाखिला सुनिश्चित करें तथा उनसे नियमानुसार देय कर जमा कराया जाये।

(कार्य० समस्त संबंधित एडी०कमि०ग्रेड-1, ज्वा०कमि०(कार्य०/कार्पो०सर्किल) अनु० ज्वा०कमि०(निरीक्षण) मु०)

6. राजस्व संग्रह की दृष्टि से जोन अलीगढ़, वाराणसी द्वितीय, आगरा, इलाहाबाद तथा इटावा की स्थिति खराब है, निर्देशित किया गया है कि मार्च के बचे हुए दिन में विशेष प्रयास करके राजस्व लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
7. सरकारी विभागों के द्वारा 31 मार्च, 16 तक भुगतान किये जायेंगे, इस दृष्टि से आप कोषागार के द्वारा प्रत्येक सरकारी भुगतान में यह सुनिश्चित कर लें कि उनमें नियमानुसार टी०डी०एस० की राशि कटौती कर विभाग में जमा कराई गई है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित डी०डी०ओ० को नियमानुसार टी०डी०एस० न कटौती करने के लिए विधिक नोटिस निर्गत की जाए।

(कार्य० समस्त संबंधित एडी०कमि०ग्रेड-1, ज्वा०कमि०(कार्य०/कार्पो०सर्किल) अनु० ज्वा०डाय०(संख्या) मु०)

8. प्रदेश में सचल दल इकाईयों के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप बिल नहीं एकत्र किये जा रहे हैं न ही बहती की गाड़ियों पर गहन निगरानी रखी जा रही है, सचल दल के कार्यों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि दि० 31 मार्च, 16 की मध्य रात्रि तक वि०अनु०शा० व सचल दल इकाईयों की निरन्तरता में ड्यूटी लगाकर चेकिंग कार्य सुनिश्चित किये जाये।

(कार्य० समस्त एडी०कमि०ग्रेड-1, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०) अनु० ज्वा०कमि०(सचलदल) मु०)

9. बकाया वसूली का कार्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो रहा है जबकि आप सभी अवगत है कि राजस्व लक्ष्य की पूर्ति में बकाया वसूली कितनी महत्वपूर्ण है। निर्देशित किया गया है कि 1 करोड़ से अधिक के बकायादारों की समीक्षा करके मार्च के बचे हुए दिनों में अधिकाधिक बकाया वसूली सुनिश्चित की जाए।

(कार्य० समस्त संबंधित एडी०कमि०ग्रेड-1, ज्वा०कमि०(कार्य०/कार्पो०सर्किल) अनु० ज्वा०कमि०(संग्रह) मु०)

10. जी०एस०टी०एन० के अर्न्तगत कार्य करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर एक अनिवार्य घटक है। अभी भी विभिन्न जोनों से 777 अधिकारियों के फॉर्म प्राप्त होना शेष है जिसमें सर्वाधिक संख्या जोन गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर प्रथम/द्वितीय, वाराणसी प्रथम में है। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में सभी अधिकारियों के फॉर्म एक सप्ताह में मुख्यालय प्रेषित किये जायें, ताकि समय से डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकें।

(कार्य० समस्त संबंधित एडी०कमि०ग्रेड-1, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), ज्वा०कमि०(कार्य०/कार्पो०सर्किल/वि०अनु०शा०) अनु० ज्वा०कमि०(आई०टी०) मु०)


उक्त कार्यवृत्त के सभी निर्देशों की अनुपालन आख्या दिनांक 05.04.2016 तक ई-मेल से प्रत्येक दशा में जोनल स्तर से उपलब्ध कराने व मार्च, 2016 के अवशेष दिनों में हरसंभव प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा के साथ सधन्यवाद वी०सी० समाप्त की गई।



(मुकेश मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

उपर्युक्तानुसार पत्र संख्या: एस०एस०-मासिक बैठक-वी०सी०/2015-16/1402/वाणिज्य कर, कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र० (संख्या अनुभाग) लखनऊ:दिनांक:30-03-16 से निर्गत कार्यवृत्त सभी संबंधित को कार्यवाही हेतु प्रेषित।



ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।